2. राष्ट्रपति शासन (Article 356).

1. इसकी घोषणा तब की जाती है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार कार्य न कर रही हो और इसका कारण युद्ध, बाह्य आक्रमण व सैन्य विद्रोह न हो।
2. इस स्थिति में राज्य कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है तथा राज्य विधायिका या तो निलंबित हो जाती है अथवा विघटित हो जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य का प्रशासन चलाता है तथा संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। अर्थात राज्य की कार्यकारी व विधायी शक्तियां केंद्र को प्राप्त हो जाती है।
3. इसके अंतर्गत संसद राज्य के लिए नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति तथा उसके द्वारा नियुक्त अन्य किसी प्राधिकारी को सौंप सकती है।
4. राष्ट्रपति शासन के लिए अधिकतम तीन वर्ष की अवधि निश्चित की गई है। इसके पश्चात इसकी समाप्ति तथा राज्य में सामान्य संवैधानिक तंत्र की स्थापना आवश्यक है।
5. केवल आपातघोषित राज्य के ही प्रशासन परिवर्तित होते हैं।
6. इसकी घोषणा करने अथवा इसे जारी रखने से संबंधित सभी प्रस्ताव संसद के सामान्य बहुमत द्वारा पारित होने चाहिए।
7. यह भी नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित करते हैं।

3. वित्तीय संकट (Article 360) - यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयी है, जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है तो यह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य को आदेश देता है संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतनों में, जिनमें उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल होंगे, आवश्यक कमी की जा सकती है। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में

Scanned with CamScanner

में धन संबंधी बंटवारे के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकता है संकट की अवधि में, राष्ट्रपति संविधान के अनु. 19 द्वारा प्रदत स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है और उसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार का भी अंत किया जा सकता है।

आपातकालीन प्रावधानों का मूल्यांकन -

भारतीय संविधान के संकटकालीन प्रावधान का संविधान निर्माण के समय कटु आलोचना की गई निम्न आधारों पर -

1. संघात्मक रूप का अंत हो जाता है क्योंकि आपातकालीन स्थिति में केंद्र ज्यादा मजबूत हो जाता है।
2. राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। जिसका दुरुपयोग करने की संभावना बनी रहती है।
3. शक्तियों का राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दुरुपयोग संभव हो सकता है। केंद्र का शासक दल राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों का दमन कर सकता है। डा० अम्बेडकर ने Art. 356 के दुरुपयोग की संभावना पर टिप्पणी करते हुए संविधान सभा में कहा था कि 'इसबात से पूर्णतया इंकार नहीं करता कि इन अनुच्छेदों का दुरुपयोग किए जाने की या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने की संभावनाएं हैं।"
4. राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी।
5. आपातकालीन प्रावधान संविधान प्रदत मौलिक अधिकारों को समाप्त कर देंगे। अमरीका, इंग्लैंड, कनाडा, आयरलैंड, स्विटजरलैंड, आस्ट्रेलिया आदि देशों के संविधानों द्वारा कार्यपालिका को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करने की इतनी व्यापक शक्ति नहीं प्रदान की गई है।

व्यवहार में आपातकालीन प्रावधानों का प्रयोग संविधान निर्माताओं की आशा और इच्छा के अनुरूप नहीं रहा। डा० अम्बेडकर के अनुसार "इसमें संदेह नहीं कि जनता के

विशाल बहुमत की राय में संकटकाल में नागरिकों की राज-भक्ति केंद्र में होनी चाहिए, न कि अवयवी इकाइयों में। केंद्र ही एक सामान्य उद्देश्य के लिए सारे देश के सार्वजनिक हित के लिए कार्य कर सकता है। संकटकाल में केंद्र को सर्वोपरि शक्तियां देने का यही औचित्य है"

44 वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा की व्यवस्थाओं ने Art 352 के दुरुपयोग की संभावना को लगभग समाप्त कर दिया है, परंतु अनु. 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए अब तक कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया है। सरकारिया आयोग ने अपने November 1987 में Art 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था तथा का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। राज्यों से सहमति लेना, राष्ट्रपति शासन लगाने का कारण बताना, राज्यपाल की रिपोर्ट संसद में रखी जानी चाहिए।

Topic - Emergency Provisions
Date - 10.07.2020
Seema Kumari, Asst. Prof. (Pol Sc), RMC, VKSU

Scanned with CamScanner